From
Rajat Singh Jain, H.J.S.,
District Judge, Meerut.

To
The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad,
Prayagraj.
Letter No. 2609/I Meerut, August 12, 2024
Subject: Explanation regarding lending money to my real mother Smt. Aruna Jain and real brother-in-law Shri Asheesh Jain.

Sir,

Please refer to letter No. 946/IV-3506/Admin (A)/ Dated 18-01-2016 addressed to the District Judge, Bulandshahr and copy letter no. 946 to me, sent by Shri S. S. Gautam, Deputy Registrar, and letter no. 6336/IV-35-6/Admin (A-4)/ Dated 07-05-2024 sent to me by The Deputy Registrar (Admin. Misc.1).

In compliance with the said letters, I am sending clarification/explanation in offline mode sought by the Hon'ble Court although I have already submitted the same on portal for judicial officers along with property statement for the years 2014-2016 and onwards.

A. Clarification for lending money to my mother Smt. Aruna Jain

It is humbly submitted that I joined the service on 15.12.2008. Prior to that I was staying in Joint Hindu Family of my father alongwith my parents. In 2010, in O.S. No. 6 of 1979, Bhartendra Singh Jain versus Virendra Singh Jain and others, a settlement took place between my father and his brothers on 13.09.2010, wherein it was agreed that ancestral house was to be vacated by our family by 12.02.2012. Therefore, it was decided to construct a residential house on shops which fell into share of my father. Unfortunately, my father suddenly expired on 21.03.2011. My mother started construction of a house at Kasganj out of her own savings and money left by father, but the same fell short for necessary finishing work. She was denied loan by the banks/financial institution due to her old age. As, the deadline for vacating the ancestral house was near and the constructed house was not habitable, therefore I and my siblings lent some interest free loan so that house could be made habitable. Thus, I lent a sum of Rs. 4,25,000.00 from 30.11.2012 to 31.08.2012. thereafter my mother sold certain immovable properties and returned the borrowed amount between 29.10.2012 to 22.04.2014. All transactions were either made by cheque or online bank transfer. A copy of

compromise decree in O.S. No. 06 of 1979 is annexed as **Annexure-A**. (Kindly see para 18 of that compromise.)

In 2014, I decided to purchase a flat. When I contacted the builder, I was told about the consideration amount payable to the tune of Rs.75,40,000.00. I contacted the financer, i.e., HDFC Ltd and initially they agreed to lend me a sum of rupees 60 lakhs. I reviewed my savings and that of my family and found that I can arrange a sum of Rs.15.40 lakhs after exhausting all savings of my family. Thereafter, I paid a sum of 25000.00 in cash on 01.04.2014 and Rs. 10 lakhs by cheque on 25.04.2014 to the builder. I was sure that the finance company would lend me a sum of Rs. 60 lakhs. However, the finance company found that considering my salary and existing liabilities etc., I am eligible only for a maximum loan of Rs. 57 lakhs. I contacted the builder and asked him to refund my already paid amount, but the builder refused. I had no other choice except to explore the other sources of finance. Other banks and financial institution also refused to give me loan on knowing that I am taking a loan of Rs. 57 lakh from HDFC Ltd. My real mother Smt. Aruna Jain was in a position to lend me a sum of Rs. 2 lakhs and therefore I agreed to take interest-free loan from my mother, otherwise my initial deposit was to be forfeited by the builder. Therefore, I asked my mother to pay a sum of Rs. 2 lakhs directly to the builder by account payee cheque, which she did. My mother gave me a certificate to this effect on 07/07/2014. A copy of that certificate is annexed as **Annexure-B**. Particulars of transactions are enclosed as **Annexure-C**.

B. Clarification for lending money to my brother-in-law Shri Asheesh Mani Jain

It is humbly submitted that I joined the service on 15.12.2008. My wife was writing articles for various websites and earning some money from that job. She and her brother decided to start a joint venture business relating to internet in year 2011. My brother-in-law was investing Rs. 10,00,000.00 and my wife needed a sum of Rs. 6,00,000.00. She paid a sum of Rs. 25000.00 to her brother out of her own savings and asked me to help her. So, I gave a bank draft of Rs. 5,00,000.00 dated 02/08/2011 to my brother-in-law and made online transaction of Rs. 75,000.00 on 10/05/2012 in his account. Later on, when my wife reviewed the joint venture, she did not find the same attractive and asked her brother to refund money paid by me. In the meantime, my brother-in-law has already invested the money in the business and was not in a position to repay the same immediately, so it was decided that the amount paid by me would be treated as personal interest free loan. My bother-in-law repaid the said sum of Rs.5,75,000.00 between 17/08/2012 to 27/04/2016 and remaining Rs. 50,000.00

on 06/01/2022. All transactions were done by online bank transfer except first transaction of Rs.5,00,000.00 which was by bank draft. Particulars of transactions are enclosed as **Annexure-D**.

It is further humbly submitted that I joined the service on 15/12/2008 and was not aware about the provisions regarding lending and borrowing. However, I quarried from a senior judicial officer having very lengthy service, and he told me that I could lend or borrow interest free money to or from relatives not residing in the district of posting. Believing him, I did such type of transactions in total ignorance.

It is humbly submitted that the mistake was totally unintentional and due to ignorance as I believed oral opinion of a senior judicial officer. Had I known about the restrictions regarding giving loan to relatives/mother, I would not have given a loan to my mother, and brother-in-law which was not initially a loan rather investment in proposed joint business of my wife and brother-in-law, without seeking prior permission of the Hon'ble court. After coming to know about restrictions regarding borrowing and lending of money, I had not made a single transaction of borrowing or lending of money even with a relative. I tender my unconditional apology and assure the Hon'ble court that I would not repeat such a mistake in future.

It is therefore most respectfully prayed that this letter may be placed before the Hon'ble court to consider accepting my unconditional apology and pardon me for my act of giving loan to my brother-in-law and mother and lending money from my mother due to the compelling circumstances mentioned in this letter, without previous sanction of the Hon'ble court.

With regards.

Yours faithfully,

Date: 12/08/2024

(Rajat Singh Jain)

District Judge, Meerut.

Annexure-A/1

R. C. F. No. IV-20

मूल वाद में आज्ञप्ति

(आदेश 20, नियम 6-7)

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्थान काशीराम नगर जिला काशीराम नगर

मूल संख्या 05-06/79

वादी-विवरण

1→ कु० नरेन्द्र सिंह उम्र 55 साल पुत्र श्री कु० महाराज सिंह निवासी मौ० नवाब बिलराम दरवाजा कासगंज तहसील जिला एटा।

वादी

मृतक वीरान वाद –

1/1 – विद्या जैन आयु लगभग 54 वर्ष

1/2 – पवन जैन आयु लगभग 51 वर्ष पुत्र स्व० श्री नरेन्द्र सिंह निवासीगण मोहल्ला नवाब बिलराम गेट कासगंज।

प्रतिवादी

① कु० वीरेन्द्र सिंह उम्र करीब 52 साल

② कु० राजेन्द्र सिंह उम्र करीब 48 साल (मृतक वीरान वाद)

③ कु० नरेन्द्र सिंह उम्र करीब 45 साल ... कासगंज ... श्री महारानी ... मोहल्ला नवाब बिलराम दरवाजा कासगंज

परगना बिलराम जिला एटा ... मुद्र० नं० 1 नायब ... सैलक्स डिपो ... सेल्स ... न० 2 डिवीजन मकान्टेट ... इन्जीनियर ... डिवीजन न० 1 ... नगर जबलपुर म० प्र०/—

प्रतिवादी

④ महावीर सिंह जैन उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला नवाब कस्बा कासगंज जिला एटा हाल मौजूदा 138 सी ... भवन ... फेज – 1 दिल्ली

(2/1) श्रीमती राजकुमारी जैन आयु लगभग 65 वर्ष (पत्नी)

(2/2) श्रीमती राकेश जैन आयु करीब 43 साल पत्नी विजय कुमार जैन (पुत्री)

(2/3) श्री राजीव जैन आयु करीब 41 वर्ष (पुत्र) स्व० श्री राजेन्द्र सिंह जैन निवासी हाल मौजूदा बिलराम गेट लक्ष्मी भवन कासगंज परगना बिलराम तहसील कासगंज जिला एटा।

⑤ श्रीमती शान्ति देवी आयु लगभग 84 वर्ष विधवा श्री नरेन्द्र सिंह जैन निवासी बिलराम गेट लक्ष्मी ... के सामने कासगंज जनपद कांशीराम नगर।

⑥ नन्द कुमार सिंह उम्र करीब 63 वर्ष, पुत्र स्व० श्री नरेन्द्र सिंह जैन निवासी बिलराम गेट लक्ष्मी ... के सामने कस्बा कासगंज जनपद कांशीराम नगर।

⑦ श्रीमती ... पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह जैन पत्नी ... कुमार जैन निवासी ... कॉलोनी आगरा

⑧ श्रीमती ... जैन पुत्री स्व० श्री नरेन्द्र सिंह जैन पत्नी ... जैन निवासी ... सेक्टर 48 ... गुड़गाँव।

⑨ श्रीमती ... जैन पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह जैन पत्नी श्री ... कुमार जैन ... फेज ... (गुड़गाँव)।

Annexure-A/2

[illegible] मूल्यांकन - 84000/-

यह कि तायून दावी व गरज अख्तयार समाअत मु० 526116=00 रूपया कीमत जायदाद हस्ब तफसील जैल पर बाबत इस्तकरार कायम किया जाता है। मुबलिग 304823.25 पैसा रूपये बाबत कीमत हिस्सा हवेली दखल तलब पर मजीद तायून दावी कायम किया जाता है। व कुल तौर पर कुल तायून दावी मु० 830939=25 पैसा पर कायम किया जाता है और कोर्ट फीस बाबत इस्तकरार मु० 200 रूपया अधिकतम मुकर्रिरा अदा की जाती है। कोर्ट फीस मुबलिग 23553.00 रूपया अदा की जाती है।

यह कि मुद्दई दादरस्वाह दादरसी जैल का अदालत से है।

(अ) यह कि इस्तकरार इस अमर का जारी फरमाया जावे। कि मुद्दई तन्हा जायदाद मुन्दर्जा क्रमांक 1 लगायत 3 अर्जी दावा जैल व के कस्बा कासगंज परगना बिलराम तहसील कासगंज जिला एटा का मालिक है।

(आ) यह कि मुद्दई मुदआलय नं० 1 श्री वीरेन्द्र सिंह को 14000-00 रूपया व मुदआलह नं० 2 राजेन्द्र सिंह को 9000=00 रूपया व मुदआलय

पी० एस० यू० पी०—019 [illegible] न्यायालय—16-8-95—5,50,000 (बाब)।

Annexure - A/3

अभि ... की

... नायर.

वादी के लिये श्री आलोक कुमार सोलंकी एड०

और प्रतिवादी के लिये श्री शारदा प्रसाद सक्सैना एड०

की उपस्थिति में इस वाद के आज दि० 15-9-10 को श्री रमेश कुमार सिविल जज (सी०डि०) काशीराम नगर।

के अंतिम निर्णय के लिये पेश होने पर यह आदिष्ट और आज्ञप्त किया जाता है कि:—

दावा वादी सुलहनामा 580 ए। के आधार पर निर्णीत किया जाता है। सुलहनामा 580 ए। डिग्री का अंश होगा —

और इस वाद के खर्च मद्दे ― रुपये की राशि आज को तारीख से शापन की तारीख तक उस पर ― प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ― द्वारा ― को दी जाये—

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक 20 मास 9 सन् 2010 ई० को दी गई।

Annexure-A

58(8)

(7)

वादी	रु०	पै०	प्रतिवादी	रु०	पै०
1—वाद-पत्र के लिये मुद्रांक			1—शक्ति-पत्र के लिये मुद्रांक		
2—शक्ति-पत्र के लिये मुद्रांक			2—याचिका के लिये मुद्रांक		
3—प्रदर्शों के लिये मुद्रांक			3—अधिवक्ता की फीस		
4—अधिवक्ता की फीस			4—साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		
5—साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय			5—आदेशिका की तामील		
6—कमीशन निष्पादक की फीस			6—कमीशन निष्पादक की फीस		
7—आदेशिका की तामील					
योग..	—	—	योग..	—	—

मुन्सरिम
न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)
काशीराम नगर
21-9-10

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपिक विभाग
जिला न्यायालय काशीरामनगर

वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर
श्री आलोक कुमार सोलंकी एड०

प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर
श्री शारदा प्रसाद सक्सैना एड

Photo Stat Copy Verified by
W.A.-3007

प्रतिलिपि विभाग जनपद

न०-3 नरेन्द्र सिंह को 25000= रूपया दिलवाया जाकर या उनके न लेने पर उनके हक में, अदालत में जमा कराया जाकर मुद्दई को हवेली मुन्दर्जा जैल क्रमांक न०3 के उस कुल भाग पर जो व कब्जा मुद्दालेह छठी दखल व बेदखली मुददायलहम दिलाया जावे।

(ब) यह कि खर्चा मुकदमा मुद्दई को मुददालेहम प्रथम पक्ष से दिलाया जावे।

(स) यह कि दीगर दादरसी जो व नजर इन्साफ राय अदालत में मुफीद मुद्दई साबित हो वहक मुद्दई खिलाफ मुददालेहम प्रथम पक्ष सादिर फरमाई जावे।

तफसील जायदाद वाके कस्बा कासगंज परगना बिलराम तहसील कासगंज जिला एटा।

(1) एक किता दुकान व आराजी उफतादा वाके मौहल्ला मोहन कस्बा कासगंज जिला एटा कीमत तखमीनी 5000=00 रुपया

पूरब - दूकान राम प्रकाश | पश्चिम - सड़क
उत्तर - दूकान रमाना देवी | दक्षिण - गली

(2) एक किता दुकान जिसमें हर व्यवसाय किरायेदार हैं मय एक कोठी जिसमें साधूराम किरायेदार बेहतर था वाके मौहल्ला साधूराम कस्बा कासगंज जिला एटा कीमती मु० 6000=00 रुपया।

पूरब - दूकान राजेन्द्र वगैरा | पश्चिम - दूकान गोकुलप्रसाद
उत्तर - सड़क | दक्षिण - मकान पं० सत्यनारायन वगैरह।

(3) एक किता हवेली पुख्ता कुसांजिला वाके मौहल्ला नवाब कस्बा कासगंज जिला एटा। कीमती 64000=00 रुपया।

पूरब - मकानात महाराज सिंह यादव व आराजी उफतादा फरीकैन।
पश्चिम - शामिलाती कम्पाउन्ड फरीकैन।
उत्तर - आराजी उफतादा 5 फुट मुद्दई बायदहू व बाहाता महाराज सिंह यादव।
दक्षिण - पुख्ता हवेली मुद्दई बायदहू रास्ता।

Annexure A/6

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कांशीरामनगर

मूलवाद संख्या 06 सन 1979

श्री भरतेन्द्र सिंह वादहू श्री पीयूष जैन

बनाम्

श्री वीरेन्द्र सिंह जैन आदि

श्रीमानजी,

निवेदन यह है पक्षों के मध्य आपसी जुबानी समझौते के आधार पर फैसला हो गया है।भविष्य में कोई विवाद न रहे इस कारण उक्त जुबानी समझौते को लिखित में उक्त वाद में दाखिल करना उचित होगा ताकि कोई पक्षकार या उनके वारिस समझौते को चुनौती न दे सके तथा मुकद्दमे का निर्णय हो सके।समझौते का विवरण निम्न प्रकार है:–

1–– यह कि पक्षों के मध्य दिनॉक–23.3.1974 को मौखिक बंटवारे को लिखित रूप में रजिस्टर्ड कराया गया था,उक्त मौखिक बंटवारा में पक्षों के पैत्रिक निवास स्थान जिसमे लक्ष्मी भवन विलराम गेट,कासगंज के नाम से जाना जाता है,में चारों भाईयो सर्वश्री भरतेन्द्र सिंह,वीरेन्द्र सिंह जैन,राजेन्द्र सिंह जैन तथा नरेन्द्र सिंह जैन में से श्री वीरेन्द्र सिंह जैन ने अपने हिस्से के ऐवज में 14,000 रूपया प्राप्त करके उसे श्री भरतेन्द्र सिंह जैन के हक में छोड़ना तय पाया था,इसी प्रकार श्री राजेन्द्र सिंह जैन ने 9000 रूपया लेकर तथा नरेन्द्र सिंह जैन ने 25000 रूपया लेकर उक्त भवन मे क्रमशःअपने अपने हिस्से श्री भरतेन्द्र सिंह जैन के हक में छोडना तय पाया था,किसी कारण वश उस समय इस प्रकार के हुए मौखिक बंटवारे पर अमल नहीं हो पाया किन्तु दौरान मुकद्दमा श्री वीरेन्द्र सिंह जैन ने अपने हिस्से की धनराशि 14000 रूपया लेकर इस सम्वन्ध में एक समझौता पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया अतः उनका कोई हिस्सा किसी प्रकार का भवन में नहीं रहा।

2–– यह कि श्री नरेन्द्र सिंह जैन प्रतिवादी द्वारा चूँकि लक्ष्मी भवन मे अब अपना हिस्सा छोडने की ऐवज में 25,000 रूपया स्वीकार नहीं किए जा रहे है अतः उनको संलग्न नक्शा मे अक्षर ई0एफ0जी0एच0बी0ए0 संख्या–11 व पीले

Narendra Singh Jain Virendra Singh Jain

--2

Annexure-A/7

पीयूष जैन
Piyush Jain
Identified the signatures of Piyush Jain & Pankaj Jain who has signed before me
13.9.10.

Virendra Singh Jain

Identified Virendra Singh Jain. He Narendra Singh Jain has signed in my presence
13.9.10

Identified Narendra Singh Jain

L.T.I. Rajeev Jain

13/9/10

Identified Raj Kumari Jain & Rajeev Jain.
R.C. Chandel
Advocate

For Rashmi Jain Deft-2/2
R.C. Chandel
Advocate

रंग से दर्शाया गया भाग व दिया गया दीवार ए0बी0 जो ककईया ईंट की बनी है वह श्री नरेन्द्र सिंह जैन के भाग मे शामिल है उक्त संलग्न नक्शे मे प्रत्येक भाग की पैमाइश अंकित की गयी है

3—— यह कि लक्ष्मी भवन का जो भाग ए0बी0सी0डी0 संख्या—1 बादामी रंग से दर्शाया गया है अनन्य रूप से श्री पीयूष जैन का है जिसकी भुजाओं की माप ए0बी0—55 फुट, बी0सी0—36फुट 6 इंच व सी0डी0—55 फुट व ए0डी0—36फुट 6इंच है जिसे उक्त लक्ष्मी भवन में बांटे गए भाग के स्वामियों को एक दूसरे की ओर कोई दरवाजा रोशनदान, जंगला, नाली, परनाला, इत्यादि निकालने का अधिकार नही है और न होगा। ए0बी0सी0डी0 भाग का निकास दक्षिण सडक बिलराम दरवाजा की ओर होगा।

4—— यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर आई0जे0एफ0ई0संख्या—8 अक्षर आर—55फुट टी0यू0वी0 डब्लू0एक्स0 संख्या—9 व अक्षर सी0सी0, जी0जी0, एच0एच0,आई0आई0 जे0जे0, के0के0 संख्या—10 से व पीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्तियां श्री नरेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में 23.3.1974 से पूर्व हुए आपसी मौखिक बटबारे में आयी थी और उनका उक्त सम्पत्तियों पर अनन्य कब्जा व दखल है। इकरारनामा दिनाक 23.3.1974 मे सम्पत्ति संख्या—9 किसी त्रुटिवश स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में लिख गयी थी श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में लक्ष्मी भवन के दक्षिण ओर सडक पार करके मौहल्ला नाथूराम में जो सम्पत्ति आयी थी वह त्रुटिवश श्री नरेन्द्र सिंह जैन के हिस्से मे लिख गयी थी उक्त सडक पार की सम्पत्ति स्थित मौहल्ला नाथूराम जिसकी सीमाये उत्तर मे सडक बिलराम दरवाजा, दक्षिण में मकान ज्योतिप्रसाद व पूरब में मकान सुरेशचन्द्र वार्ष्णेय व पश्चिम में जायदाद रामप्रकाश बढ़ारी वाले बढारी मार्केट है पर स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह जैन के वारिसान द्वारा कब्जा व दखल द्वारा न्यायालय आर0बी0एण्ड ई0ओ0 / एस0डी0एम कासगंज में दिनांक 29.12.2009 को प्राप्त कर लिया गया है हम पक्षकार इस बात की पुष्टि करते है कि लक्ष्मी भवन के दक्षिण ओर सडक पार की उक्त सम्पत्ति श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में आयी थी और उससे श्री नरेन्द्र सिंह जैन अथवा पीयूष जैन का या

13-9-10
R.P.Chandra
L.T.I. Rajeev Jain
Pijush Jain
Narendra Singh Jain
Virendra Singh Jain

Annexure-A/9

580 AT/7 580 A1/3

किसी अन्य पक्षकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और यदि कोई अन्य पक्षकार उक्त सम्पत्ति पर अपना दावा करता है तो वह अकृत व शून्य होगा। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्री पीयूष जैन ने जो आपत्ति नगर पालिका परिषद में कर रखी है वह इस संधि पत्र के द्वारा खारेज की जाती है और बेअसर हो गयी है पीयूष जैन ने इस सम्पत्तिकी वावत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट नम्बर–65885 वर्ष 2009 पीयूष जैन बनाम राजेन्द्र सिह जैन दायर की गयी जो कि दिनांक: 8.12.2009 को निरस्त हो गयी।

5–– यह कि दिनांक:23.3.1974 से पूर्व मौखिक विभजन के अनुरुप लक्ष्मी भवन में श्री राजेन्द्र सिंह जैन केवारिसान द्वारा रूपया 9000/= P.P. Chaudhary लेकर अपना हिस्सा छोडना स्वीकार कर लिया है तथा उक्त धनराशि श्री पीयूष जैन से प्राप्त कर ली है।

6–– यह कि संलग्न नक्शे मे अक्षर बी0बी0, सी0सी0, डी0डी0,एल0एल0 संख्या–3 व रंग हरे से दर्शायी गयी सम्पत्ति मौखिक विभाजन के अनुसार श्री वीरेन्द्र सिंह जैन के हिस्से मे आयी थी और उन्ही के कब्जा व दखल मे है।

7–– यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर ओ0पी0क्यू0एच0 संख्या–5 व नीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति आपसी मौखिक विभाजन के अनुसार स्व0 श्री राजेन्द्र सिह जैन के हिस्से में आयी थी और वर्तमान मे उनके वारिसानो के कब्जा व दखल में है।

8––. यह कि दिनांक 23.3.1974 से पूर्व हुए मौखिक विभाजन मे अक्षर बी0 ए0ए0, एल0एल0, एल0एल–1, एच0जी0 से दर्शाया गया भाग शामिलाती खुले चौक के रूप में रखा गया था किन्तु पक्षों ने आपसी रजामंदी से उसका विभाजन कर लिया है उक्त चौक मे अक्षर वी0वाई0जेड0डब्लू0 संख्या–2 वलाल रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी श्री पीयूष जैन है यदि भविष्य में उक्त सम्पत्तिको विकय करते है तो पहले लिखित नोटिस के द्वारा इस वाद केपक्षकारो को वाजार भाव वताकर वेचने का प्रस्ताव करेगे और यदि दो माह के अन्दर इस वाद के पक्षकार उक्तसम्पत्ति कय नही करते है तो वह किसी को भी उक्त सम्पत्ति विकय कर सकेगें। किन्तु वह विकय उस बाजार भाव के

13-9-10
P. Chaudhary Advocate
T.S. Rajeev Jain
राजमाला जैन
Piyush Jain
Narendra Singh Jain
Virendra Singh Jain
राजेन्द्र जैन

कम पर न होगा। जो पक्षकारों को प्रस्तावित किया गया था। यदि उक्त सम्पत्ति एक से अधिक पक्षकार कय करने के इच्छुक होते है तो जो ज्यादा मूल्य देगा उसे उक्त सम्पत्ति विकय की जावेगी शेष सम्पत्तियों के स्वामियों पर ऐसा कोई बंधन नही होगा और वे अपनी अपनी सम्पत्तियों को किराये पर उठाने, विकय करने, गिरवीं रखने इत्यादि के लिए स्वतन्त्र होंगे।

9—– यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर वाई0, ए0ए0, एल0एल0, ई0ई0,एफ0एफ0-Z संख्या–4 व हरे रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी श्री वीरेन्द्रसिंह जैन है।

10—– यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर एल0एन0, एच0एम0 संख्या–6 व नीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह जैन के वारिसान है।

11—– यह कि नक्शा में अक्षर के0एल0एम0जी0 संख्या–7 व पीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी श्री नरेन्द्र सिंह जैन है।

12—– यह कि श्री वीरेन्द्र सिह जैन द्वारा पूर्व में जो समझौता इस वाद में दाखिल किया गया था उसमें उनके प्लाट जो संलग्न नक्शा में अक्षर 3 से दर्शाया है की सही पैमाइश नही लिखी गयी थी जबकि संलग्न नक्शे में सही पैमाइश लिखी गयी है अगर पूर्व समझौता तथा इस समझौते में कोई फर्क पाया जाता है तो यह संधि पत्र ही मान्य होगा।

13—– यह कि संलग्न नक्शे में भुजा वाई–Z को पूरब ओर सीधा खींचने पर उत्तर ओर जो रास्ता नारंगी व सफेद रंग से दर्शाया गया है वह श्री वीरेन्द्र सिह जैन व वारिसान श्री राजेन्द्र सिंह जैन व श्री नरेन्द्र सिह जैन की सम्पत्तियां जो कमशः संख्या–4 व 3 व 6 व 5 व 10 व 7 से दर्शायी गयी है के अनन्य प्रयोग के लिए है तथा भुजा वाई–Z को पूरब ओर सीधा खीचने पर जो रास्ता दक्षिण ओर नांरगी व सफेद रंग से दर्शाया गया है वह सभी पक्षों के उपयोगार्थ है और चारो पक्ष उक्त दक्षिणी तरफ रास्ते के निर्माण में बराबर का व्यय करेंगें। उक्त रास्ता Z बिन्दु के उपर उत्तर

L.T.I. Rajeev Jain

Narendra Singh Jain Virendra Singh Jain

Piyush Jain

Annexure-A/11

की तरफ एपेक्स टाइल से पक्का करवाया जावेगा जिसका 1/3 व्यय श्री वीरेन्द्र सिहं जैन व 1/3 व्यय वारिसान श्री राजेन्द सिह व 1/3 व्यय श्री नरेन्द्र सिंह जैन करेगें व इस रास्ते में अवरोध करने या वाहन खडा करने का अधिकार किसी पक्ष या उनके मेहमानों को न होगा।

14—— यह कि कुल रास्ता जो सफेद व नांरगी रंग से दर्शाया गया है में कोई भी पक्षकार, छज्जा, चबूतरा, प्रोजेक्शन, परनाला कतई नहीं निकाल सकेगें केवल उस रास्ते के दोनो ओर अधिक सेअधिक एक एक फुट चौडी नालियां बनाई जा सकेंगी जो पूरे रास्ते में उत्तर से दक्षिण ढाल की होंगी। तथा मख्य सडक विलराम दरवाजा की नाली में जाकर मिल जावेगी अथवा पक्षकार आपसी सहमति से एक एक बडी अन्डर ग्राउण्ड नाली भी बनवा सकते है उक्त रास्ते के नीचे जमीन के अन्दर से पक्षकारों को बिजली, टेलीफोन व पानी की लाइन ले जाने कां अधिकार होगा। उक्त रास्ते में सभी को दरवाजा जंगला निकालने का अधिकार होगा।

15—— यह कि पक्षकार एक्स0आई0 स्थान पर गेट चढवा सकेंगे जिसका व्यय समान रूप से वहन करेगे और उसके ताले की एक एक चाबी प्रत्येक पक्षकार के पास रहेगी। गेट लगाने के लिए सम्पत्तिसंख्या–9 व 8 की दीवारो का सहारा लिया जा सकेगा। किन्तु दीवारें हमेशा श्री नरेन्द्र सिंह जैन की रहेगी।

16—— यह कि रास्ता के एक्स0डब्लू0जे0आई0 भाग को श्री नरेन्द्र सिंह जैन अपनी सम्पत्ति संख्या–8 व 9 की दीवारो के सहारे से पाटकर उसकी उपर निर्माण कर सकेगें। पटाव की ऊंचाई कम से कम 14 फुट होगी।

17—— यह कि सम्पत्ति संख्या–5 के पूरब में तथा सम्पत्ति संख्या–1 व 11 के उत्तर में 5 फुट चौडा रास्ता है जिसके सम्बन्ध में श्री नरेन्द सिह जैन ने वाद ~~संख्या– सन~~ नरेन्द्र सिंह बनाम महाराज सिंह डिकी कराया है। उस रास्ते में उक्त सम्पत्तियों के स्वामियों को अधिकार प्राप्त रहेंगें।

18—— यह कि ए0बी0सी0डी0 संख्या–1 व लाल रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति में अभी श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री नरेन्द्र सिंह जैन व वारिसान श्री

13-9-10

R.K. Chaudhary Advocate

L.T.I. Rajeev Jain

Narendra Singh Jain Virendra Singh Jain

Piyush Jain

12-

6

/6 580 A1
6

Annexure-A/1

राजेन्द्र सिंह जैन रह रहे है। जो इस समझौता पत्र के आधार पर निर्णय होने की दिनांक से 15 माह के अन्दर अपना कब्जा हटाकर श्री पीयूष जैन को दे देंगे यह एक वर्ष तीन माह का समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि उक्त पक्षकार अन्य सम्पत्तियों मे निर्माण कराकर अपने अपने रहने का इन्तजाम कर लेगें। यदि किसी पक्षकार द्वारा संलग्न नक्शा में दर्शायी गयी सम्पत्तियों में निर्माण करने में कोई वैद्यानिक अडचन आती है जिसे दूर करना उस पक्षकार के हाथ में न हो तो यह 15 माह खाली करने का समय उक्त वैद्यानिक अडचन दूर होने के बाद से प्रारंभ होगा।

19—— यह कि इसी प्रकार पक्षकार ई०ए०बी०ए० संख्या–11 व रंग पीले से दर्शायी गयी सम्पत्ति में भी कुछ भाग पर श्री वीरेन्द्र सिंह जैन व वारिसान स्व० श्री राजेन्द्र सिह जैन का कब्जा है वह भी उक्त अवधि में उपरोक्त प्रकार से उन्हे हटाकर कब्जा व दखल श्री नरेन्द्र सिह जैन को देना होगा।

20—— यह कि यदि कोई पक्षकार उक्त अवधि में उपरोक्तानुसार अपना कब्जा हटाकर श्री पीयूष जैन या श्री नरेन्द्र सिह जैन को नहीं देता है तो वह उक्त सम्पत्तियों के स्वामियों को पांच सौ रूपया प्रतिदिन की दर से हर्जा इस्तैमाल देगा। तथा जरिए इजराय पीयूषजैन को तुरन्त दखल लेने का अधिकार उक्त 15 माह की अवधि के बाद होगा जिसमें खाली करने वालो या उनकेवारिसानो को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नही होगा।

21—— यह कि संलग्न नक्शा में दर्शायी गयी सम्पत्ति पर कोई पक्षकार मास मदिरा का कारोबार या भण्डारण नहीं कर सकेगा और यह शर्त प्रत्येक पक्षकार के क्रेता पर भी लागू होगी जब तक कि उक्त सम्पत्तियों में से किसी भी सम्पत्ति में जैन परिवार रहता है। यदि कोई पक्षकार या उसका क्रेता इस शर्त का उल्लघंन करता है तो जरिए इजराय उसे रोका जा सकेगा।

22—— यह कि साहव वाला पेच कासगंज में जो सम्पत्ति है वह मौखिक बटवारा के अनुसार अनुंवध दिनांक 23.3.1974 में श्रीवीरेन्द्र सिंह व श्री

13-9-10
LJD Rajeev Jain
Narendra Singh Jain Virendra Singh Jain
Piyush Jain

1 5802-A1 Annexure-A/13
7

राजेन्द्र सिह व श्री नरेन्द्र सिंह जैन की संयुक्त रूप से प्राप्त की है जिसमें श्री भरतेन्द्र सिह जैन या उनके वारिसानो का कोई हक हिस्सा नहीं है।

23—— यह कि प्रतिवादी संख्या–4 श्री कृष्णवीर सिंह जैन उपरोक्त उपलब्ध नहीं है अतः उसे मुकदमे से वरी किया जाता है। किंतु यदि वह भविष्य में किसी सम्पत्ति में कोई भी अधिकार का दावा करता है तो उस अधिकार की संतुष्टि श्री वीरेन्द्र सिह जैन अपने को प्राप्त सम्पत्तियों में से ही करेगें।

24—— यह कि यदि श्री पीयूष जैन के अन्य कोई भाई बहिन कोई विवाद करते है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पीयूष जैन की होगी। प्रतिवादी सं०5 ... [illegible handwritten insertion] ...

25—— यह कि किसी पक्षकार द्वारा इस संधि पत्र का उल्लघन किए जाने की दशा में उसके विरूद्ध इजराय लाकर इसका पालन कराया जा सकेगा।

26—— यह कि यह संधि पत्र पक्षकारों व उनके वारिसानो व विधिक प्रतिनिधियों व उत्तराधिकारियों पर लागू रहेगा।

27—— यह कि श्री पीयूष जैन के पास श्री वीरेन्द्र सिह का एक दस्तखती कागज हो सकता है वह किसी भी उददेश्य के लिए मान्य नही होगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इस संधि पत्र को स्वीकार किया जाकर संधि पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त निर्णीत किया जाकर संधि पत्र को निर्णय का अंग रखे जाने की कृपा करें महान कृपा होगी।

दिनांकः13.9.2010

प्रार्थीगण

भरतेन्द्रसिह जैन वादहू पीयूष जैन

-----वादीगण

Piyush Jain

वीरेन्द्र सिंह जैन आदि

Virendra Singh Jain

-----प्रतिवादीगण

L.I.J. Rajeev Jain

Narendra Singh Jain Defdt. No 3

13-9-10

साक्षी-
(1) रजनीश जैन 13/9/10
(2) Kuldeep Jain
(3) Sanjeev Bansal
(4) [illegible]

Annexure-17/14

13.7.10

S72A1

आज पत्र समझौता अन्तर्गत पक्षकारान
द्वारा प्रस्तुत किया गया। वादी पंकज व श्री
पीयूष जैन की अनुपस्थिति श्री आलोक कुमार
सोलंकी एड० जिन की उपस्थिति व प्रतिवादीगण
श्री वीरेन्द्र कुमार जैन की अनुपस्थिति श्री आदेश
प्रसाद सक्सेना एड० व सावित्री जैन व
राजकुमारी की अनुपस्थिति श्री आदेश कुमार
एड० व विपिन जैन के लिये श्री कार्तिकेय
चौधरी एड० व श्री नरेन्द्र कुमार जैन की
अनुपस्थिति श्री सत्येन्द्र पाल सिंह एड०
प्रतिवादीगण 4, 6 लगायत को साबित किया
गया है। प्रतिवादी 5 की मृत्यु हो
चुकी है। समझौता पत्र पक्षकारों को
पढ़कर सुनाया व समझाया गया।
समझौता पत्र समझौते की शर्तों के
आधार पर स्वीकार किया जाता है।

18.7.10
सिविल जज
(सी० डि०)
कासगंज

Self attested.
Jain
12/04/14

Annexure B/

<u>सहमति पत्र</u>

मैं श्रीमती अरूणा जैन पत्नी स्व0 श्री नरेंद्र सिंह जैन निवासी बिलराम गेट, मोहल्ला नबाव कासगंज की हूँ। मैं अपने पुत्र रजत सिंह जैन को दिनांक 07/07/2014 को अपने बैंक खाते से रूपये 2,00,000.00 (दो लाख) का एक चैक बिल्डर को फ्लैट का एडवांस देने के लिये उधार के रूप में अपनी सहमति से दे रही हूँ क्योंकि उक्त धनराशि देनी आवश्यक है और मेरे पुत्र रजत सिंह जैन के पास उक्त धनराशि की व्यवस्था किसी भी प्रकार से नहीं हो पा रही है और बैंक से ऋण लेने की पूरी सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः यह सहमति पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त धनराशि मेरा पुत्र तीन वर्ष के अंदर बिना ब्याज के अदा करेगा।

Aruna Jain
(श्रीमती अरूणा जैन)

दिनांक : 07/07/2014

Self attested
[signature]
12/08/2017

Annexure C

LOAN TRANSACTIONS WITH SMT. ARUNA JAIN (MOTHER)

Sl. No.	Date	Amount lent/paid by me	Amount lent/Paid by Mother	From Bank	To Bank
01.	30/12/2011	100000.00		SBI Rajat 20009731103	SBI Aruna Jain 0000031853431606
02.	17/02/2012	75000.00		SBI Rajat	SBI Aruna Jain
03.	21/03/2012	25000.00		SBI Rajat	SBI Aruna Jain
04.	28/06/2012	140000.00		SBI Rajat	SBI Aruna Jain
05.	28/06/2012	40000.00		SBI Rajat	Triveni Marvels
06.	21/07/2012	5000.00		SBI Rajat	SBI Aruna Jain
07.	31/08/2012	40000.00		SBI Rajat	SBI Aruna Jain
08.	29/10/2012		300000.00	SBI Rajat	SBI Aruna Jain
09.	22/04/2014		125000.00	Canara Bank	HDFC Rajat
10.	05/07/2014		200000.00	Canara Bank	Civitech Developers
11.	06/11/2016	15000.00		SBI Rajat	SBI Aruna Jain
12.	09/11/2016	15000.00		-do-	-do-
13.	06/01/2017	20000.00		-do-	-do-
14.	06/02/2017	15000.00		-do-	-do-
15.	31/03/2017	20000.00		-do-	-do-
16.	23/04/2017	20000.00		-do-	-do-
17.	05/05/2017	20000.00		-do-	-do-
18.	02/06/2017	20000.00		-do-	-do-
19.	06/07/2017	20000.00		-do-	-do-
20.	02/08/2017	15000.00		-do-	-do-
21.	05/09/2017	20000.00		-do-	-do-
	Balance	0.00	0.00	-do-	-do-

12/8/2017

(Rajat Singh Jain)

ID – UP6519

Annexure D

LOAN REPAYMENT BY ASHEESH JAIN

Sl. No.	Date	Amount Paid by Asheesh	Amount Lent by me	Mode of Payment	To Bank
01.	02/08/2011		500000.00	Draft SBI	
02.	10/05/2012		75000.00	Cheque SBI	
03.	17/08/2012	25000.00		Online	SBI Rajat
04.	09/10/2015	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
05.	09/10/2015	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
06.	29/10/2015	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
07.	29/10/2015	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
08.	07/12/2015	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
09.	11/12/2015	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
10.	16/12/2015	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
11.	22/04/2016	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
12.	22/04/2016	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
13.	27/04/2016	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
14.	06/01/2022	50,000.00		Online	HDFC Rajat Singh Jain
	TOTAL	575000.00	575000.00		
	Balance	0.00	0.00		

12/05/2022

(Rajat Singh Jain)

ID – UP6519